

**कार्यालय
श्रमिक, प्राथमिक शिक्षा परिषद
उत्तर प्रदेश जलनगर**

संख्या: दिनांक: 14-8-2020

संख्या- श्रमिप/परिषद संम्बद्धता/2020/8178

-कार्यालय द्वारा-

श्रमिक, प्राथमिक शिक्षा परिषद नई दिल्ली/फार्मेसी कार्यालय द्वारा श्रमिकों को नई दिल्ली द्वारा श्रमिक सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा इन श्रमिकों की शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के आदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा जलनगर से सम्बद्धता/सम्बद्धता प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को जलनगर प्राथमिक शिक्षा परिषद उद्योग लव-13 की अध्यक्षता में श्रमिक कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आदेशित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व के संघटित संस्थाओं को सम्बद्धता विचार/पाठ्यक्रम/अन्य सारकें पृष्टि सहित अन्य नवीं पर विचार करने हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

इसके ही अनुक्रम में सम्बद्धता समिति को बैठक सं-सत्र-8 में डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संघटित करने वाली नई संस्था को प्रवेश रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गठन किया-विमर्श का विचार निर्णय लिया गया -

"सत्र 2020-21 हेतु नवस्थापित होने वाली डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाएं जिन्हें पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2020-21 हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है, को सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सत्र 2020-21 हेतु निर्गत पी०सी०आई० अनुमोदन पत्र के आधार पर सर्वसम्मति से सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत संस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण कराया जाये एवं निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि नदम, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जाएगी।"

उक्त निम्नानुसार संघटित संस्था को परिषद की सम्बद्धता समिति द्वारा किये गए निर्णय के आधार पर प्राथमिक शिक्षा परिषद, जल नगर जलनगर द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं अन्य अतिरिक्त प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	इंटर फार्मेसी कॉलेज डिप्लोमा इन फार्मेसी जिलाकाठवार जिलाकाठवार-201731	डिप्लोमा इन फार्मेसी	80	80

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एडवाइजरी/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करनी।
- ✓ संस्था पचास (50) प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद दिग्विजयवासी एक्ट 1982 के अंतर्गत विनियमावली-2018 तथा अन्य निर्देश नियमों का अनुपालन करनी तथा मुख्य निदेशिका समिति द्वारा निर्धारित मुख्य तीन वर्षीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम हेतु सत्र 30,150.00/- प्रतिवर्ष को वार्षिक फार्मेसी पाठ्यक्रम सत्र सत्र- 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु वार्षिक फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त सत्र सत्र- 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्रेषित किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर साक्षात् द्वारा निर्गत किये जाने वाले साक्षात्कार जनकी द्वारा, और तदनुसार कार्यवाही

संज्ञिका

शिक्षा प्रविधिक शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश सरकार

संख्या: शिप्रि/प्रविधि/सम्बद्धता/2021/0637

दिनांक: 09/03/2021

संज्ञिकता आदेश

शिक्षा प्रविधिक शिक्षा परिषद एवं दिव्येयवासी अग्रविद्यालय शिप्रि, नई दिल्ली द्वारा शिक्षा सं. 2021-22 हेतु विद्यार्थी अर्जों के माध्यम से प्रविधिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत प्रविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक - 08/03/2021 को प्रविधिक शिक्षा परिषद में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सं. 2021-22 हेतु अर्जों के माध्यम से सम्बद्धता एवं प्रविधिक शिक्षा परिषद के सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने पर विचार करने हेतु सं. 2021-22 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने के निर्णय किया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में विद्येयवासी अग्रविद्यालय के अध्यक्ष से विस्तार प्रदान की प्रविधिक शिक्षा परिषद से सं. 2021-22 हेतु विस्तारित करने के अर्जों पर विचार करने हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है।

संस्था का पता एवं नाम - 1302 METAL PHARMACY COLLEGE DIDAKHE, DAKHINARA, SHIKOHABAD, FEROZABAD, U. P.

श्रेणी	पाठ्यक्रम का नाम	10 अंकों की परीक्षा/12 अंकों की परीक्षा द्वारा सं. 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सं. 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	40	40

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था 10 अंकों की परीक्षा/12 अंकों की परीक्षा द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों को पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्रविधिक शिक्षा परिषद सं. 2021 तथा प्रविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, संशोधन विनियमवाली-2018 तथा अन्य विनियम विद्यार्थी एवं छात्रों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों के लिए पाठ्यक्रमों हेतु रु. 20150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों के लिए रु. 40300.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष दो वर्षों के पाठ्यक्रमों (दो वर्षों के पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त) हेतु रु. 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रयोग करेगी। संस्था द्वारा निर्धारित शुल्क को सफलतापूर्वक प्रयोग करने के अतिरिक्त छात्र छात्रों से शुल्क के सम्बन्ध में समझ-बुझ पर संस्था द्वारा निर्धारित किया जाने वाले साक्ष्य लेना पड़ेगा, और अनुसूचित जाति/प्रादेशिक जाति आरक्षण होगा। शिक्षा निर्धारण समिति द्वारा सं. 2021-22 हेतु शीर्ष का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो शीर्ष की नवीनतम रहे।
- ✓ संस्था को 100% प्रविधिक शिक्षा समिति/उप समिति, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाता। विनियमवाली-2020 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में अनुसूचित प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के विस्तार एवं अन्य की स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार से निर्दिष्टानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को उत्तर-समय पर निर्धारित साक्ष्य लेना के अनुसार निर्देशन एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को 10 अंकों की परीक्षा/12 अंकों की परीक्षा हेतु अनुमोदित प्राप्त किया जायेगा आरक्षण होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाये गये विधि/विनियम/अतिरिक्त विनियम/संशोधन/नियमों एवं निर्देशन, प्रविधिक शिक्षा परिषद, सचिव प्रवेश परीक्षा परिषद, 2018 तथा प्रविधिक शिक्षा परिषद, 2018 द्वारा बनाये गये विनियम, विनियमों, नोटिस, निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगी।
- ✓ संस्था द्वारा सभी पाठ्यक्रमों का सफलतापूर्वक पूर्ण होना चाहिए। नई दिल्ली से अनुमोदित प्राप्त करने से अक्षय्य नहीं है। जो इस संबंध में संस्था अंतराविधिक संस्था का होना और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्रविधिक शिक्षा परिषद, सचिव प्रवेश परीक्षा परिषद, प्रविधिक शिक्षा परिषद/सचिव एवं प्रविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश सरकार को कोई भी दावा किया जाता है तथा संस्था

घट के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।

- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश नखनऊ द्वारा प्रदत्त वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 में अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से जयका संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त सातखरण उपलब्ध कराने के साथ रेसिंग टैकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध करायें गये अतिरिक्त भूमि, भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के राष्ट्रीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 परिषद के मातृकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता वाली का अनुपालन न किये जाने अधिकांशतः का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

दिनांक: 09/08/2021

पू0सं0- प्रशिक्षणपरिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

प्रतिनिधि -

प्रधानाचार्य/निदेशक ATAL PHARMACY COLLEGE DIBAICHI, DAKHINARA, SHIKOHABAD, FIROZABAD, U. P.



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव